

प्राप्ति - 16/2/2017

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत / दस्ती

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:

A(D)-22823/2016

अपील अन्तर्गत धारा

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

अपीलकर्ता

श्री बी०सी० बृजवासी, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल  
बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड, 4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4-सुभाष रोड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून

### नोटिस

अपीलकर्ता श्री बी०सी० बृजवासी, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 26.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 19.04.2017 (बुधवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 10.30 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 19.04.2017 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

### लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा  
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

### विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

हो/-

(शत्रुघ्नि सिंह)

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 1809, उ.सू.आ. / अपील / 2016-17 / (CIC)

दिनांक 14.02.2017

प्रतिलिपि

- श्री बी०सी० बृजवासी,, 6 / 130 तल्ली बमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
- लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, 4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
- विभागीय पत्रावली।

(झरना कमठान)

सचिव

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे  
(प्रारूप - "ख")

1.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि प्रथम अपील का निरतारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निरतारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निवहन एक ऐसे अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संविधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिकारी के दायित्वों का निवहन किया गया, वर्तमान में किस पद व रथान पर कार्यरत हैं	

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 पूर्ण पता .....  
 दूरणाप/फैक्स न0/ मो0न0.....  
 ई-मेल 3ाई.डी. ....

स्वतंत्रा में

26 DEC 2016

13086

मा० मुख्य सचिवा आयुष्मान महोदय

मा० उत्तराखण्ड सचिवा आपौ।) (५४२१५७)

विषय - [डिलीप अपील स्टीफन रुकुमा का २००५]

6(3)	FAO	KOF
RIO	DO	Secy.
13	P.S.	Dy. Secy.

मधेदेह

२६/३३८६

①

जपीलकर्ता ने ⑤ विद्युतो पर सचिवा चाहे हुए लो० रुकुमा (विविध) को जनु०प० पत्र 13-१०-२०१६ प्राप्त किए। उल्लंघन ①

② लो० सू० ३० विविध ने भ्रामक / जनूर्ण सचिवा दीपो उल्लंघन ② है।

③ विद्युतो ② ③ ⑤, ④ की सचिवा भी डिस्ट्रिक्ट सचिवा अधिकारी ने भी नहीं दी।

④ कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शास्त्र के लोकसचिवा अधिकारी ने ४-११-२०१६ के पत्र द्वारा उल्लंघन कराया कि विद्युतो ① से ⑤ तक की (विविध) कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शास्त्र द्वारा दी जानी है। उल्लंघन ③

⑤ जपीलकर्ता द्वारा २-११-२०१६ को उपर जपीलकर्ता के परन्तर भी चार्दी गाड़ी सचिवा प्राप्त नहीं हुई। उल्लंघन उल्लंघन ④

आरा मा० आपौ।) ने निवेदन है कि - - -

जपीलकर्ता के सचिवा के जनु०प० पत्र 13-१०-२०१६ के ⑤ विद्युतो पर चार्दी गाड़ी सचिवा धारा ७(६) के तहत शिशुलक पुराण कराने की तुष्टि की जाएँ।

१५/१५-१२-२०१६

जपीलकर्ता

बी० सी० बुजवासी

पता - ६/१३० तल्ली वर्मीशी

नवाबी रोड (हल्हाली)

नेतृत्वात्

ल आई  
₹ 10  
STAL ORDER

अदा करना  
whom payable

किस डाकघर में  
At what Office

क्या इसे क्रास किया है  
Whether crossed

मेजाने की तारीख  
Date sent

33F 853862

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी  
कापलिष प्रमुख सचिव (निवचिन)  
उत्तराखण्ड शासन - देहरादून

विषय - आवेदन अन्तिम सू. ० अ. ० २०१५

महेश, भार्या जापके समझ 10 रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत  
करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवै  
प्रस्तुत है !

1:- उत्तराखण्ड चौथन संबंधित चन्द्र के प्राप्ति पत्र 3-16-  
२०१६ जो प्रमुख निवचिन आपुकृत भारत का निवाचिन आपोग  
नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड शासन  
के माध्यम से भेजित है, जो श्रीष्ठि कुमार वरिष्ठ पी. सी. एस.  
अधिकारी को नैनीताल जनपद से हरापे जाने विषयक है  
उक्त प्राप्ति पत्र पर कार्पवाई की सम्बूद्ध सूचना तथा निवाचिन  
आपोग उत्तराखण्ड शासन के उंतिम निर्णय की उमानित प्रति  
दी जाएँ !

2:- अपनी सेवा के लाभभाग २२ वर्ष में से करीब १६ वर्ष  
की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक  
पदों पर सेवा (नायक तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी)  
महाप्रबन्धक कु.म.वि.नि., उपर आपुकृत नैनीताल,  
सिटी मजिस्ट्रेट छलानी (नैनीताल) निदेशाल डेपर्टमेंट विकास-  
हल्डानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-  
प्राधिकरण नैनीताल पद में तैनात वरिष्ठ पी. सी. एस.  
अधिकारी श्रीष्ठि कुमार को जनपद नैनीताल से स्पानपूर्ति  
किए जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निवचिन) उत्तराखण्ड  
शासन तथा सचिव (कामिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई  
कार्पवाई / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो  
उसकी उमानित प्रति को दी जाएँ ! आरं कोई कार्पवाई /  
निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उसका भी  
खुलाशा करते हुए इसी / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणों  
से कोई सहित प्रदान की जाएँ !

SHRI HANUMANT HO 02631357  
E/61167150211N  
Counter No: 1, FF-Order: 01  
Toll Free No: 981167150211  
From: 09:00 AM To: 05:00 PM  
Taxes: Rs. 5.00 (Track Cr: Web, India Post, OMR)

India Post  
NAINITAL, P.B.245001  
Toll Free No: 981167150211  
From: 09:00 AM To: 05:00 PM  
Taxes: Rs. 5.00 (Track Cr: Web, India Post, OMR)

3:- भ्रीष्मकुमार सचिव जील विकास अधिकारी नैनीताल को उनकी सेबा के करीब २२ वर्षों में से १६ वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्पानोत्तरण के निपम के तहत वार-२ माह जनपद नैनीताल के ही जिला विभिन्न अनुभागों / कार्यालयों के दी शासनियों पदों में दी तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्पानोत्तरण निपमो / शासनादेशों की उमाणि प्रति ग्रामीं को उपलब्ध कराए जाएं।

4:- जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीओं / निवन्धिन से जुड़े अधिकारीओं के नाम एवं पदनामों की सूचना दी जाए जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे एवं तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं। जिनका स्पानोत्तरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीओं को स्पानोत्तरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निवन्धिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना ग्रामीं को उदान की जाएं।

5:- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्पानोत्तरित श्री ललित मोहन रामाल का स्पानोत्तरण जनपद नैनीताल में दी निर्देशक उपरी विकास (इलानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्पानोत्तरित नहीं करने के उक्तण पर प्रमुख सचिव (निवन्धिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो सूचना दी जाए। अगर नहीं की जा रही है तो उन कारणों का खुलासा करते हुए पूर्ण व स्पष्ट अभिलेखित सूचना दी जाए।

दिनांक → 13-10-2016

बी.सी.बृजवार्सी  
पता- ६/१३० तल्ली कमोरी (पतकार)  
शेड हल्हानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड

लख . मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
— सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून — 248001

फोन नं 0 (0135) — 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) — 2712014, 2713724

ख्या / 179 / XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार),  
पत्ता—6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:— सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:—

1. बिन्दु संख्या—01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
2. बिन्दु संख्या—02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तदनुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या—04 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:—

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
04—सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संलग्न संख्याएँ~~

भवदीप्य,  


(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

लिय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं (0135) - 271201, 2713724

संख्या / xxv-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय,  
नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नवावी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या- 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्रवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

प०संख्या ।। 77 / xxv-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नवावी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(M.D)

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन  
कार्मिक अनुभाग-1  
संख्या-RTI 166 / XXX-1-16-50(85)16  
देहरादून : दिनांक 08 अक्टूबर, 2016  
नवम्बर

लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी,  
निर्वाचन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री बी० सी० बृजवासी (पत्रकार) पता-6 / 130, तल्ली बमोरी, नबाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2016 जो आपके कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 05 द्वारा वांछित सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः श्री बी० सी० बृजवासी का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुनः इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महावीर सिंह)  
उप सचिव / लोक सूचना अधिकारी

संख्या-RTI 166 / XXX-1-16-50(85)16, तददिनांक।

प्रतिलिपि : श्री बी० सी० बृजवासी (पत्रकार) पता-6 / 130 तल्ली बमोरी नबाबी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

*mahavir*  
(महावीर सिंह)  
उप सचिव / लोक सूचना अधिकारी

चिलान्ड (4)

सेव में

मुख्य नियंत्रण अधिकारी / पृष्ठा  
अपीलीपै अधिकारी गद्दाम  
उत्तराखण्ड शासन - दैरार्द

विषय: प्रथम अपील गतिहास पात्र (1) द्वा द्वा को 2015

गद्दाम

- (1) अपीलकर्ता के एवना के सनुपेपैल 3-10-2016 के द्वा द्वा अपीलकर्ता को उपर्युक्त एवना पृष्ठा की जापी है। चिलान्ड (102)
- (2) अपीलकर्ता के सनुपेपैल के विद्यु टेलिपै
- (1) के द्वा द्वा कार्यवाही की एवना पृष्ठा पृष्ठा की जापी, प्राप्तिपैल पर कार्यवाही के जाइय टिप्पणी। नियंत्रण की एवना दी गाये
- (3) विद्यु टेलिपै (2), (3), (4), (5) से चाही जाए एवना भी प्रदान नहीं की जापी है, उपर्युक्त कापा जाए

मेरा 2-11-2016

अपीलकर्ता

वी. श्री. वृजवाली

पता: 6/130 तल्ली-वासी

नवाबी रोड (हिल्हान)

(कैटलाल)

/

ବ୍ୟାକ କାହାର କୁ ଆପଣ

## प्रलय अपीलीय अधिकारी

द्य निर्वाचन अधिकारी,  
कार्यालय देहरादून

## मुख्य निर्वाचन अधिकारी

गोल संख्या- 02 / 2016

नाल संख्या- 02/2016  
अपीलकर्ता:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6/130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड, हल्द्वानी,  
जिला नैनीताल।

બનામ

बनाम उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून। आदेश

आदेश

**आदेश**

श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीतोल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

करा दी गयी है।  
 2— लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं। इन सभी कार्यालयों का दाया प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.ए. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्राप्तिका 1395 / ख्य-12 / 2015, तददिनांक।

पुसंख्या /३९५ /XXV-१२/२०१५, तददिनांक।  
प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-६ / १३० तल्ली बमोरी, नबावी रोड, हल्द्वानी, जिला  
नैनीताल।

(एस.प्र. मुरागिशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

● कार्यालय अपीलीय अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय देहरादून

अपील संख्या— 02 / 2016

अपीलकर्ता:— श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता—6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी,  
जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाता:— लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2— लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस / कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली / अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.प्र. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ०संख्या 1395 / XXV-12/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:— श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता—6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

(एस.ए. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय देहरादून

अपील संख्या— 02 / 2016

अपीलकर्ता:— श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता—6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी,  
जिला नैनीताल।

बनाम

उत्तरदाता:— लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 05 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 1177, 1178 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड रासन एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल को हस्तान्तरित करते हुए पत्र संख्या 1179 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2— लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री बी०सी० बृजवासी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1340 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को 12.00 बजे दिन सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/ कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली / अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(एस.ए. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृष्ठसंख्या / ३९५ / XXV-12 / 2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:— श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता—6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

(एस.ए. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1340 / XXV-12 / 2015

देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार),  
पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 02 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 25 नवम्बर, 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 12.00 बजे दिन उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यादिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,  
(एस.ए. मुरुगेशन)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ० संख्या 1340 / XXV-12 / 2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

एस.ए. मुरुगेशन  
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन  
कार्मिक अनुभाग-1  
संख्या-RTI 166 / XXX-1-16-50(85)16  
देहरादून : दिनांक 8 अक्टूबर, 2016

लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी,  
निर्वाचन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री बी० सी० बृजवासी (पत्रकार) पता-6/130, तल्ली बमोरी, नबाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2016 जो आपके कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.10.2016 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 05 द्वारा वांछित सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित है। अतः श्री बी० सी० बृजवासी का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पुनः इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*mahavir singh*  
(महावीर सिंह)  
उप सचिव / लोक सूचना अधिकारी

संख्या-RTI / XXX-1-16-50(85)16, तददिनांक।

प्रतिलिपि : श्री बी० सी० बृजवासी (पत्रकार)पता-6/130 तल्ली बमोरी नबाबी रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

*✓*  
(महावीर सिंह)  
उप सचिव / लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1178/xxv-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 कों धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

पूर्णसंख्या /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमृष्ण  
25/10/16

५६७  
कृपा RTI Act  
के अन्तर्गत इसका  
प्रत्युत्तर मिला।

Mahesh  
(भवदीय सिंह)  
उप संचिव  
कार्मिक विभाग,  
उत्तराखण्ड राज्य।

1  
(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / लोक प्रश्न प्रबुद्धि (प्रविचित)  
कापलिष प्रभुख सचिव (निविचित)  
उत्तराखण्ड शासन - दैशराहन

विषय - आवेदन अन्तिगत सू. ज० अ० २००५

महेश, ग्रामीं जापके समझ १० सूपपा आवेदन शुल्क प्रस्तुत  
कर्खे निभन सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवर  
प्रस्तुत है !

१- अरविन्द चौधार संघ माष्टर चन्द्र के प्राप्ति पत्र ३-१०-  
२०१६ जो मुछ्य निविचित आपुत्र भारत का निविचित आपों  
नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निविचित) उत्तराखण्ड शासन  
के माध्यम से भेजित है, जो श्रीष्ठ कुमार वरिष्ठ पी. सी. एस.  
अधिकारी को नैनीताल जनपद से हरापे जाने विषयक है  
उक्त प्राप्ति पत्र पर कार्पवाई की सम्पूर्ण सूचना तथा निविचित  
उत्तमाग उत्तराखण्ड शासन के उंतिम निर्णय की उमाणि गति  
दी जाएँ !

२- अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष में से करीब १६ वर्ष  
की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक  
पदों जैसे (नाप्रबत्तहलीलदार, तहसीलदार, उप गिलाधिकारी)  
महाप्रबन्धक कु. म० वि. नि., उपर आपुत्र नैनीताल,  
सिटी मजिस्ट्रेट हल्हानी (नैनीताल) निदेशक डेरेश विकास-  
हल्हानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव श्रील विकास-  
प्राधिकरण नैनीताल पद में हैनात वरिष्ठ पी. सी. एस.  
अधिकारी श्रीष्ठ कुमार को जनपद नैनीताल से स्पानप्रगति  
किए जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निविचित) उत्तराखण्ड  
शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई  
कार्पवाई / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है, तो  
उसकी उमाणि प्रति को दी जाएँ ! अगर कोई कार्पवाई /  
निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उसका भी  
खुलाशा करने द्वारे शर्त / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणों  
का कारण सहित प्रदान की जाएँ !

३ :- अमीष कुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों में से १६ वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्पानोत्तरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागों / कार्पलियों के दी प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्पानोत्तरण नियमों / शासनादेशों की उमाधि प्रति प्राप्ति को उपलब्ध कराप्ति जाएं।

४ :- जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निर्विचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम परे / पदनामों की सूचना दी जाए जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद से तैनात रहे थे तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्पलियों में तैनात हैं। जिनका स्पानोत्तरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्पानोत्तरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्विचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्पविधि की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना प्राप्ति को उदान की जाएं।

५ :- मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्पानोत्तरित की लिहित मोहन राघव का स्पानोत्तरण जनपद नैनीताल में ही निदेशक डेपर्टमेंट विकास (इलाजनी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्पानोत्तरित नहीं करने के उक्त एवं प्रमुख सचिव (निर्विचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्पविधि की जा रही है तो सूचना दी जाए। उग्र नहीं की जा रही है तो उन कारणों का खुलासा करते हुए इन व स्पष्ट अभिलेखित प्राप्ति सूचना दी जाएं।

संलग्नक ①  
जावेदा शुल्क  
(१० रुपया)  
अधिकारी छिपा  
प्रहुत है

दिनांक → 13-10-2016

बी.सी.बृजवासी  
(पत्रकार)  
पता - ६/१३० तल्ली वर्मोरी, नैनीताल  
जीर हल्लानी, नैनीताल

मर्देका फृशोका डक भवित्वा नम्बर प्रदान के १०००० प्रति १०० दहा रुपये का दस रुपये का दस रुपये

NOT NEGOTIABLE



भारतीय फॉस्टल ऑर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोहा रुपये का पाँच

रुपये तिति (विविध)

दस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

देहरादून

के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट

POSTAGE STAMPS

POSTMASTER

इस लाइन के नीचे नहीं लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

राजा राम देहरादून

देहरादून

33F 853862

(सेवा में)

जीमानु मुल्य नियन्त्रण अधिकारी / प्रपत्र  
अपीलीय अधिकारी गद्दी  
उत्तराखण्ड शासन - देवरामग

विषय: प्रपत्र अपील जर्हान पाए १७ छोड़ा हो २०१५

महाराष्ट्र,

(१) ~~अपीलकारी~~ के रूचा के अनुप्रेप पत्र ।३-१०-२०१६ को कुन ने ~~अपीलकारी~~ को उपर्युक्त (रूचा) प्रपत्र की जापी है। उल्लंघन ११२

(२) अपीलकारी के अनुप्रेप पत्र के विटु ट्रॉल्यू (१) को कुन ने कार्पविहारी की रूचा प्रपत्र की जापे, प्राविगापत्र पर कार्पविहारी के आईये चिप्पनी। निर्णय की रूचा नहीं जापे

(३) विटु ट्रॉल्यू (२), (३), (४), (५) से चारी जापे सर्वत्र भी प्रदान नहीं की जापे है, तो प्रपत्र कापा जाए

मेर २-११-२०१६

अपीलकारी

बी. शति. वृजवाली

पत्र: ६/१३० तल्ली-वामोही

नवाली रोड (हिल्हानी)

(गोपनीय)

10/11/2016  
Anil  
10/11/2016

सेवा में

ठिलाल

१

लोक सूचना अधिकारी  
कापलिष प्रभुत्व सचिव (निवाचिन)

उत्तराखण्ड शासन - देहरादून

विषय - जावेदन अन्तर्गत स्रोजों २०१५

महोदय, ग्रामीणों के समक्ष १० रुपये जावेदन शुल्क उत्तराखण्ड करके निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवृत्ति है !

१:- अरविन्द चौहान सेवा माष्टकरचन्द्र को प्राप्तना पत्र ३-१०-२०१६ जो मुख्य निवाचिन आपूर्त भारत का निर्वाचिन आपोगी नई दिल्ली को प्रभुत्व सचिव (निवाचिन) उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से भेजित है, जो श्रीष्ठ कुमार वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारी को नैनीताल जनपद से हराए जाने विषय पत्र है उक्त प्राप्तना पत्र पर कार्पवाही की सम्बूर्ध सूचना तथा निर्वाचिन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के उंतिम निर्णय की उमाणि प्रति दी जाएँ !

२:- अपनी सेवा के लाभाभ २२ वर्ष में से करीब १८ वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु.मा.वि.नि., उपर आपूर्त नैनीताल, सिटी मंडिस्ट्रेट हल्डनी (नैनीताल) निदेशक डेयरी विकास हल्डनी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-प्राधिकरण नैनीताल पद में तैनात वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारी श्रीष्ठ कुमार को जनपद नैनीताल से स्पानस्ट्राइकिपे जाने के सन्दर्भ में प्रभुत्व सचिव (निवाचिन) उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्पवाही / निर्णय / जादेश पारित किया जा रहा है तो उसकी उमाणि प्रति को दी जाएँ ! अगर कोई कार्पवाही / निर्णय / जादेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उसका खुलाशा करते हुए शब्द / स्पष्ट अभिलेखिय सूचना कारणों सहित उदान की जाएँ !

संग्रहीत नं. ८३३३७  
प्र०/६१६७१५६२८  
अधिकारी क्र। नं.-८०१  
ठाकुर शहीद,  
उत्तराखण्ड शासन  
प्र०/४४४८४, फ०/२४५०१  
टैक्स रेट : ५.००%  
टैक्स रेट : ५.००%  
टैक्स रेट : ५.००%  
टैक्स रेट : ५.००%

प्राप्ति का संकेत (R.)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या / 179 / XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 2 / सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी0सी0 बृजवासी, (पत्रकार),  
पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड,  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बंधित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

- बिन्दु संख्या-01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
- बिन्दु संख्या-02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तदनुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
- बिन्दु संख्या-04 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।


यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
04-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संतुष्टि स्वीकार~~

भवदीय,  
  
(मस्तू दोस)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

०४ - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ।। ७९/XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक २१ सितम्बर, 2016

सेवा में,

श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार),  
पत्ता-६ / १३० तल्ली बमोरी, नबावी रोड़,  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

- बिन्दु संख्या-01 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ६ (३) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
- बिन्दु संख्या-02, 03 एवं 05 में चाही गयी सूचना उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग से संबंधित है तदनुसार प्रकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ६ (३) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
- बिन्दु संख्या-04 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, नैनीताल से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ६ (३) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।


यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-


विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
०४-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

~~संतुष्ट यथोत्तमि।~~

भवदीय,  
  
(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी  


सेवा में

लोक सूचना उपचिकारी / लोक सूचना उपचिकारी (निवाचिन)  
कापलिष प्रमुख सचिव (निवाचिन)  
उत्तराखण्ड शासन - दैशराहून

विषय - आवेदन अन्तिम संग्रह २०१५

मैट्रियल, ग्रामीण आपके समक्ष १० रुपया आवेदन शुल्क प्रस्तुत  
करके निभ्न सूचना चाहता है। जिसका विवरण निम्नवर  
प्रस्तुत है।

१:- अरविंद चौधरी संवादकर्त्ता के प्राप्ति पत्र ३-१०-  
२०१६ जो मुख्य निवाचिन आपकृत भारत का निवाचिन आपों।  
नई दिल्ली को प्रमुख सचिव (निवाचिन) उत्तराखण्ड शासन  
के माध्यम से छोड़ा है, जो श्रीष्ठि कुमार वरिष्ठ पी.सी.एस.  
उपचिकारी को नैनीताल जनपद से हराए जाने विषय पत्र है  
उक्त प्राप्ति पत्र पर कार्याधी की सम्पूर्ण सूचना तथा निवाचिन  
अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के अंतिम निर्णय की उमाणि प्रति  
दी जाएं।

२:- अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष में से करीब १६ वर्ष  
की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक  
पदों जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी)  
महाप्रबन्धक, कु.म.वि.नि., उपर आपुकृत नैनीताल,  
सियी मजिस्ट्रेट हल्हानी (नैनीताल) निदेशक, डेयरी विकास  
हल्हानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-  
उपचिकारण नैनीताल पद में तैनात वरिष्ठ पी.सी.एस.  
उपचिकारी श्रीष्ठि कुमार को जनपद नैनीताल से स्पानसरि  
किए जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निवाचिन) उत्तराखण्ड  
शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई  
कार्याधी | निर्णय | आदेश पारित किया जा रहा है तो  
उसकी उमाणि प्रति को दी जाएं। अगर कोई कार्याधी |  
निर्णय | आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उत्तराखण्ड  
खुलाशा करते हुए इसी | स्पष्ट अभिलेखिये सूचना कारणों  
सहित प्रदान की जाएं।

३-: अमीषकुमार सचिव झील विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेबा के करीब २२ वर्षों में से १६ वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्थानोंतरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागों / कार्पलियों के ही प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्थानोंतरण नियमों / शासनादेशों की प्रमाणित प्रति प्राप्ति को उपलब्ध कराए जाएं।

४-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निविचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम एहे । पदनामों की सूचना दी जाए जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे हैं तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्पलियों में तैनात हैं । जिनका स्थानोंतरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है । इन अधिकारीयों को स्थानोंतरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निविचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसकी भी अभिलेखिय सूचना प्राप्ति को प्रदान की जाएं ।

संलग्न ①  
आवेदन शुल्क  
(० रुपय)  
भाष्याः छुट्टा  
जहुत है

५-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्थानोंतरित ही ललित मोहन राघव का स्थानोंतरण जनपद नैनीताल में ही निदेशक डेपर्टमेंट विकास (हिल्हानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्थानोंतरित नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निविचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है तो सूचना दी जाए । यारं नहीं की जा रही है तो उन काश्यों का रुकुलाशा करते हुए इन व स्पष्ट अभिलेखिय प्राप्ति सूचना दी जाए ।

दिनांक → १३-१०-२०१६

बी.सी.बृजवासी  
(पत्रकार)  
पता - ६/१३० तल्ली नमोरी, नैनीताल  
रोड हिल्हानी (नैनीताल)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ।। 77 / XXV-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय,  
नैनीताल, उत्तराखण्ड।


विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा बिन्दु संख्या- 04 के माध्यम से वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।


अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,  
  
(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी  


पृ०संख्या ।। 77 / XXV-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी  


लोक सूचना अधिकारी / भौमिक प्रभुत्वाधारे (प्रभुत्वा)  
 कार्पोरल प्रभुत्व सचिव (निर्वाचित)  
 उत्तराखण्ड शासन - देशराजन  
 विषय - आवेदन अन्तर्गत स्रोतों अ. २०२५

मैथिली, उत्तराखण्ड जापके समक्ष १० रुपया) आवेदन शुल्क प्रस्तुत  
 करने निम्न सूचना चाहता है ! जिसका विवरण निम्नवृत्ति  
 प्रस्तुत है !

१- उत्तराखण्ड चौथान संघ मानकर चन्द्र के प्राप्ति पत्र ३-१०-  
 २०१६ जो मुख्य निर्वाचित आपूर्ति भारत का निर्वाचित आपौर्ण  
 नई दिल्ली को प्रभुत्व सचिव (निर्वाचित) उत्तराखण्ड शासन  
 के माध्यम से भेजित है, जो भीषु बुमार वरिष्ठ पी. सी. एस.  
 अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाये जाने विषयक है  
 उक्त प्राप्ति पत्र पर कार्पवाई की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचित  
 अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के उंतिम निर्णय की उमाणि गति  
 ही जाएँ !

२- अपनी सेवा के लगभग २२ वर्ष में से करीब १८ वर्ष  
 की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न प्रशासनिक  
 पदों जैसे (नाप्रबंधीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी  
 महाप्रबंधक, कु.म.वि.नि., उपर आपूर्ति नैनीताल,  
 सियी जिस्ट्रेट हल्टानी (नैनीताल) निदेशक डेपर्शिविकास-  
 हल्टानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-  
 अधिकरण नैनीताल पद में हैनात वरिष्ठ पी. सी. एस.  
 अधिकारी भीषु बुमार को जनपद नैनीताल से स्पानस्टरि  
 किए जाने के सन्दर्भ में प्रभुत्व सचिव (निर्वाचित) उत्तराखण्ड  
 शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई  
 कार्पवाई / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो  
 उसकी उमाणि गति को दी जाएँ ! आर कोई कार्पवाई /  
 निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उसका भी  
 खुलाशा करने दुप्रे शर्व / स्पष्ट अभिलेखिप सूचना कारणों  
 द्वारा सहित उदान की जाएँ !

३-: भीष्मकुमार सान्धेव झोल विकास प्राधिकरण नैनीताल को उनकी सेबा के करीब २२ नवंबर में से १६ वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्पानोत्तरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागों / कार्पलियों के दी प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्पानोत्तरण नियमों/शासनादेशों की उमानि प्रति प्रधानी को उपलब्ध करापी जाएं।

४-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निर्विचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम पहुंचना दी जाए जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे थे तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्पलियों में तैनात हैं। जिनका स्पानोत्तरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा चुनाव आपीया के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्पानोत्तरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निर्विचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित सूचना प्रधानी को प्रदान की जाएं।

संलग्न १  
आवेदन शुल्क  
(०५५५)  
भाग्यो ३३ डॉ  
प्रहुत है

५-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्पानोत्तरित श्री ललित मोहन राघव का स्पानोत्तरण जनपद नैनीताल में ही निदेशक उपरी विकास (इलानी) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आपीया के निर्देश के पश्चात भी स्पानोत्तरित नहीं करने के उक्तण पर प्रमुख सचिव (निर्विचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो सूचना दी जाए। आरंभी की जा रही है तो उन कारणों का खुलासा करते हुए इन व स्पष्ट अभिलेखित सूचना दी जाएं।

दिनांक → १३-१०-२०१६

‘बी.सी.० बृजवासी  
(प्रत्यक्ष)  
पता- ६/१३० तल्ली वन्मोरी, नैनीताल,  
उत्तराखण्ड शासन नैनीताल’



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ।। ।। ।। / xxv-12 (1-5) / 2008

देहरादून : दिनांक ।। ।। अक्टूबर, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्मिक विभाग,  
उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून।


विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,  
  
(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

पृ० संख्या ।। ।। / xxv-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०सी० बृजवासी, (पत्रकार), पत्ता-6 / 130 तल्ली बमोरी, नबावी रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / (लोक सूचना अधिकारी)  
कापलिष्ठ प्रभुत्व सचिव (निर्वाचित)  
उत्तराखण्ड शासन - दैशराहून

विषय - आवेदन अन्तिम सू.अ.अ. २०५

मैंने, उपर्युक्त आपके समक्ष १० रुपया आवेदन शुल्क प्रदूषित करके निम्न सूचना भाग्य है ! जिसका विवरण निम्नवृत्ति प्रस्तुत है।

१- अरविंद चौहान संबंधित के प्राप्ति पत्र ३-१०-२०१६ जो मुख्य निर्वाचित आपूर्ति भारत का निर्वाचित आपूर्ति अधिकारी को नैनीताल जनपद से हटाए जाने विषयक है उह प्राप्ति पत्र पर कार्याधी की सम्पूर्ण सूचना तथा निर्वाचित अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के उंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति दी जाएँ।

२- अपनी सेवा के लाभाभाग २२ वर्ष से से करीब १६ वर्ष की सेवा अवधि नैनीताल जनपद के विभिन्न उत्तराखण्ड शासनिक पदों जैसे (नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप तहसीलाधिकारी) महाप्रबन्धक कु.म.वि.नि., उपर्युक्त नैनीताल, सियी मजिस्ट्रेट हल्हानी (नैनीताल) निदेशाल डेयरी विकास हल्हानी (नैनीताल) तथा वर्तमान में सचिव झील विकास-उत्तराखण्ड नैनीताल पद से हैनात वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारी भीष कुमार को जनपद नैनीताल से स्पानसारि किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव (निर्वाचित) उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्याधीनी / निर्णय / आदेश पारित किया जा रहा है तो उसकी प्रमाणित प्रति को दी जाएँ ! आगर कोई कार्याधीनी / निर्णय / आदेश पारित नहीं किया जा रहा है तो उसका उल्लंश द्वारा इसकी विवरण / स्पष्ट अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए !

३-: श्रीबुम्पार सचिव झील विकास अधिकारी नैनीताल को उनकी सेवा के करीब २२ वर्षों में से १६ वर्ष तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासन के जिस स्पानोत्तरण नियम के तहत वार-२ मात्र जनपद नैनीताल के ही विभिन्न अनुभागों / कार्पलियों के दी प्रशासनिक पदों में ही तैनाती दी जाती रही है, शासन के उस स्पानोत्तरण नियमों/शासनादेशों की उमाणि प्रति प्राप्ति को उपलब्ध कराप्ति जाएं।

४-: जनपद नैनीताल में तैनात उन सभी प्रशासनिक - अधिकारीयों / निविचिन से जुड़े अधिकारीयों के नाम पहुंचना दी जाए जो पिछले विधान सभा व लोक-सभा चुनावों में भी नैनीताल जनपद में तैनात रहे थे तथा वर्तमान में भी नैनीताल जनपद के विभिन्न कार्पलियों में तैनात हैं। जिनका स्पानोत्तरण उत्तराखण्ड शासन द्वाय चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। इन अधिकारीयों को स्पानोत्तरित करने के लिये प्रमुख सचिव (निविचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई कार्पविही की जा रही है तो उसकी भी अभिलेखित स्वत्तन प्राप्ति को उदान की जाएं।

संलग्न १  
आवेदन शुल्क  
(०५प्रप्त)  
अधिपौठ छा. डा.  
ग्रहुत है

५-: मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद से स्पानोत्तरित भी ललित मोहन रामाल का स्पानोत्तरण जनपद नैनीताल में ही निर्देशक डेपर्टमेंट विकास (व्हिल्डिंग) नैनीताल पद में करने व नैनीताल जनपद से चुनाव आयोग के निर्देश के पश्चात भी स्पानोत्तरित नहीं करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव (निविचिन) उत्तराखण्ड शासन द्वाय कोई कार्पविही की जा रही है तो स्वत्तन दी जाएं। अगर नहीं की जा रही है तो उन कारणों का रखलाशा करते हुए इन व स्पष्ट अभिलेखित स्वत्तन दी जाएं।

दिनांक → 13-10-2016

बी.सी.बृजवासी  
पता- ६/१३० तल्ली वमोरी, लंबानी  
(पतकार)

महाराष्ट्र दूरध्वनि इकाई अंडा प्रेसिल २०१०५ वापसी ३० दश रुपये नकाशा दूरध्वनि दरम उपर्युक्त दस रुपयाणि

NOT NEGOTIABLE




CHINCHINNARU  
INDIAN POSTAGE ORDER

डाक महानियशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोग रु १० रुपये

एम्बुल चिक्की (विविज)

दस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



महाराष्ट्र दूरध्वनि

दूरध्वनि

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक-अपना नाम और संतान अंडा लिख दें।  
SENDER MAY FILE IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.  
INDIAN POST & TELEGRAPH DEPARTMENT, MUMBAI, 400 001, INDIA

AT THE POST OFFICE AT

मुंबई

के डाकघर में अद के।

33F 853862